बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संoसंo–9 / आo–08–14 / 2024(स्वाo) .... / पटना, दिनांकः–..

सिविल सर्जन, सुपौल के पत्रांक–3636 दिनांक–24.12.2022 के द्वारा डॉ0 संजय कुमार मिश्रा, चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग), रेफरल अस्पताल, राघोपुर, सुपौल के विरूद्ध दिनांक–23.11.2017 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प सं0–1607(9) दिनांक–06.11.2023 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा डॉ० मिश्रा के विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। प्रमाणित आरोप के आलोक में विभागीय पत्रांक–669(9) दिनांक–07.08.2024 के द्वारा डॉ0 मिश्रा से द्वितीय कारण–पृच्छा की मॉग की गयी।

3. डॉ0 मिश्रा के द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा का प्रत्युतर समर्पित कर यह अवगत कराया गया कि उनकी माँ एवं पत्नी गम्भीर रूप से बीमार थी। वे मानसिक रूप से परेशान होने के कारण कर्तव्य पर अनुपस्थित रहे। सिविल सर्जन, सुपौल के पत्रांक–179 दिनांक–17.01.2025 के द्वारा प्रतिवेदित है कि डॉ0 मिश्रा दिनांक–30.06.2022 से अद्यतन कार्यरत है।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् समीक्षोपरान्त डॉ0 मिश्रा के विरूद्ध दिनांक–23.11.2017 से 22.06.2022 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(VI) के अधीन संचयात्मक प्रभाव के साथ पाँच वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने एवं अनुपस्थित अवधि को No Work No Pay के साथ–साथ इस अवधि की गणना किसी भी प्रयोजनार्थ नहीं करने का विनिश्चय किया गया है।

5. विभागीय पत्रांक–.388(9) दिनांक–28.04.2025 के द्वारा डॉ० मिश्रा के विरूद्ध उक्त दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–1397 दिनांक–01.07.2025 के द्वारा सहमति प्राप्त है।

6. अतएव डॉ० संजय कुमार मिश्रा, चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग), रेफरल अस्पताल, राघोपुर, सुपौल के विरूद्ध दिनांक–23.11.2017 से 22.06.2022 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(VI) के अधीन संचयात्मक प्रभाव के साथ पाँच वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक एवं अनुपस्थित अवधि को No Work No Pay के साथ–साथ इस अवधि की गणना किसी भी प्रयोजनार्थ नहीं करने का शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

7. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

कृ०पृ०उ०

(15)

ज्ञापांकः—9 / आ0—08—14 / 2024(स्वा0) 730(9) / पटना, दिनांकः— 04.7.25

प्रतिलिपिः—महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, सुपौल / कोषागार पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/07/2025
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः—9 / आ0—08—14 / 2024(स्वा0) 730(9) / पटना, दिनांकः— 04.07.25

प्रतिलिपिः—माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना, बिहार / सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें कोशी प्रमंडल, सहरसा / सिविल सर्जन, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—डॉ० संजय कुमार मिश्रा, चिकित्सा पदाधिकारी(शिशु रोग), रेफरल अस्पताल, राघोपुर, सुपौल सम्प्रति एस0एन0सी0यू0, सदर अस्पताल, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

04/07/2025
सरकार के अवर सचिव।